

संख्या-पर्यटन-ए(1)-1/2012
हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

प्रेषक,

मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश ।

सेवा में,

सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधानसभा,
शिमला-171004

दिनांक शिमला -171002

23.3.2015

विशय: पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों को विधान सभा के पटल पर रखने बारे।


महोदय,

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा दिनांक 17 मार्च, 2015 को रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में दिनांक 19 मार्च, 2015 को प्रकाशित हुए हैं।

मैं इन नियमों को विधान सभा के वर्तमान सत्र में विधान सभा के पटल पर रखना चाहता हूँ। नियमों की पांच प्रतियां (हिन्दी व अंग्रेजी) जिनमें तीन अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणित हैं, आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन नियमों को विधान सभा के वर्तमान सत्र में सभा पटल पर रखने की कृपा करें।

अनुलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,

(वीरभद्र सिंह)
मुख्य मन्त्री,
हिमाचल प्रदेश ।

हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

संख्या: टी.एस.एम.-ए(1)-1/2012 तारीख शिमला-2 17.3.2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध -'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।
- (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

(वी.सी.फारका)

अति. मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)

हिमाचल प्रदेश सरकार।


पृष्ठांकन संख्या: टी.एस.एम.-ए(1)-1/2012 तारीख शिमला-2, 17.3.15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
2. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2.

५/

3. निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
4. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-171002.
5. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम, शिमला-171001.
6. उप निदेशक (पर्यटन) शिमला, सोलन, मण्डी, कुल्लू स्थित मनाली तथा कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।
7. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला-171005.
8. संरक्षण नस्ति ।



(रमेश जसवाल)

अवर सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

(दूरभाष 2622407)

उपाबन्ध-‘क’

हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग में रिकार्ड लिफ्टर, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम: रिकार्ड लिफ्टर।
2. पद की संख्या: 1 (एक)।
3. वर्गीकरण: वर्ग-IV (अराजपत्रित)।
4. वेतनमान: नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 4900-10680/ + 1800/- रूपए ग्रेड पे।
5. चयन पद अथवा अचयन पद: अचयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु: लागू नहीं।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं: लागू नहीं।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए

विहित आयु और
शैक्षिक अहर्ताएं,
प्रोन्नत व्यक्ति
(व्यक्तियों) की दशा
में लागू होंगी या
नहीं:

9. परिवीक्षा की अवधि,
यदि कोई हो:

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और
अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा
सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और
लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति;
भर्ती सीधी होगी या
प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट,
स्थानान्तरण द्वारा और
विभिन्न पद्धतियों द्वारा
भरे जाने वाले पद
(पदों) की प्रतिशतता:

शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट,
स्थानान्तरण की दशा
में श्रेणियां (ग्रेड),
जिनसे प्रोन्नति/
सैकेण्डमेंट/
स्थानान्तरण किया
जाएगा:

विभाग में सेवारत सेवादार/चौकीदार/सफाई कर्मी
में से प्रोन्नति द्वारा, जिसका पांच वर्ष का नियमित
सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा,
यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का
नियमित सेवाकाल हो।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की,
उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार

पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी:

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो:

परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I:- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में 'कार्यकाल' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II:- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से

होंगे:-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरु के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाड़ा गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पददर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ़, थाच-बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

(i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए

6

अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ;

स्पष्टीकरण:- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए हों।

टिप्पण (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

3

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना: जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा: जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा: लागू नहीं।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन: लागू नहीं।
16. आरक्षण: सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा : लागू नहीं।

8

18. शिथिल करने की
शक्ति :

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

अमित

अमित

Chief Minister
Himachal Pradesh.

(Authoritative English text of Notification No. TSM-A(1)- 1/2012 Dated 17.03.2015
as required under Clause-(3) of Article 348 of Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Tourism & Civil Aviation

No. TSM-A(1)-1/2012 Dated: Shimla-2,

17.03.2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Record Lifter, Class-IV (Non-Gazetted) in the Department of Tourism & Civil Aviation, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this Notification, namely:-

Short title and Commencement;	1.(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Tourism & Civil Aviation Department, Record Lifter, Class-IV (Non- Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2015. (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
-------------------------------	---

By order,

(V.C.Pharka)

Addl. Chief Secy.(Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. TSM-A(1)-1/2012 Dated: Shimla-2,

17.03.2015

Copy to the following for kind information and necessary action to:-

- 1.All the Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. D.L.R.-cum-Deputy Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. Director, Tourism & Civil Aviation, H.P., Shimla-9 .
4. The Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2.
5. The Managing Director, H.P. Tourism Development Corporation Ltd. Shimla-1.
6. Deputy Director, Tourism & Civil Aviation at Shimla, Solan, Mandi, Manali & Dharamshala.

2/

7. Controller, Printing & Stationery Deptt., H.P., Shimla-5 for publication in the Govt. Gazette (through E-Gazette).
8. Guard file.


(R.C.Jassal)

Under Secretary (Tourism & CA) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph. No. 2622407)

Annexure-"A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF RECORD LIFTER, CLASS-IV (NON- GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TOURISM & CIVIL AVIATION, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post Record Lifter
2. Number of posts: 1 (One)
3. Classification: Class-IV (Non-Gazetted)
4. Scale of pay: Pay for regular incumbents.—Rs.4900-10680+1800 Grade Pay.
5. Whether Selection or Non- Selection
Selection post: Non Selection
6. Age for direct recruitment: Not applicable.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruits: Not applicable.
8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes: Not applicable.
9. Period of probation, if any: Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

3000

10. Method(s) of recruitment, 100% by promotion. whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods:
11. In case of recruitment by By promotion from amongst the promotions, secondment, Peon/Chowkidar/Sweeper working in the transfer, grade from which department with 5 years of regular service or promotion/ secondment/ regular combined with the continuous adhoc transfer is to be made: service rendered in the grade, if any.

For the purpose of promotion a combined seniority of eligible officials on the basis of length of service without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prepared.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post (s) available in such areas;

Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such

area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:-For the purpose of proviso (1) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II:- For the purpose of proviso (1) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gusaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-

2004

4

Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Note(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of

Dand

— S —
consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services)Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

Dang

Note (2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to the

-6-

regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged”.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition: As constituted by the Government from time to time.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment: As required under the law.
14. Essential requirement for direct recruitment: Not applicable.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment: Not applicable.
16. Reservation: The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh
- [Handwritten mark]*

47-

Government from time to time.

17. Departmental
Examination:

Not applicable.

18. Powers to Relax:

Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or post(s).

David

८१२३१६,
Authenticated
Chief Minister
Himachal Pradesh.